तत्काल / समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून

सेवा में,

1. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शिक्षा) उत्तराखण्ड।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मा0शिक्षा) उत्तराखण्ड।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड
4. उप शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांकः– एजु0पोर्टल/21218-33 /2022–23, दिनांक 04 फरवरी 2023

विषयः– कार्मिकों (अधिकारी/अध्यापक/कर्मचारी) के डाटा अपडेशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों की ई–प्रोफाईल तैयार की गयी है, जिसमें सम्बन्धित कन्ट्रोलिंग यूनिट द्वारा कार्मिकों (अधिकारी/अध्यापक/कर्मचारी) एवं छात्रों का ई–प्रोफाईल डाटा ऑनलाईन किया जाता है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अनुपालन में वर्ष 2023–24 में स्थानान्तरण प्रक्रिया अधिनियम में प्रदत्त समय–सारिणी के अनुसार पूर्ण की जानी होगी, जिस हेतु समस्त कार्मिकों का ई–प्रोफाईल पूर्ण रूप से सही अंकित किया जाना आवश्यक है। **अतः अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों (अधिकारी/अध्यापक/कर्मचारी) का डाटा अपडेशन (नये कार्मिक का डाटा अंकना, स्थानान्तण, पदोन्नति अंकना, त्रुटिपूर्ण डाटा सही करना) दिनांक 29 फरवरी 2023 तक पूर्ण कर इस आशय का प्रमाण–पत्र कि मेरे अधीनस्थ समस्त कार्मिकों (अधिकारी/अध्यापक/कर्मचारी) का डाटा एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है, विभागीय मेल आई0डी0–ua.education@yahoo.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।** उसके बाद पोर्टल अपडेशन की कार्यवाही आवश्यक रूप से बन्द कर दी जायेगी। प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही सम्बन्धित अधिकारी को ग्रेडेशन सूची प्राप्त की जा सकेगी। विलम्ब अथवा त्रुटिपूर्ण डाटा के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

भवदीय

(बंदना गर्ब्याल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0/एजु0पो0/21218-33 /2022–23, दिनांक उक्तांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल।
6. अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।
7. अपर निदेशक,एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड।
8. अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. विभागाध्यक्ष, सीमैट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. संयुक्त निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।

(बंदना गर्ब्याल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड